अज अदालत : न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला-बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- अरूण प्रकाश आर्य, ''राज.न्या.सेवा''

निर्णय दिनांक : 12 सितम्बर, 2024

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या- 233/2017
(CIS NO. 396/2015 CNR No. RJBR020014032014

एफआईआर संख्या 622/09.09.2014
पुलिस थाना कोतवाली बारां, जिला बारां
अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

अभियोगी	राजस्थान राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1. बनवारी पुत्र सुल्तान, निवासी बालाखेडा, पुलिस थाना अंता, जिला बारां। **(अभियुक्त मफरूर है।)**
	2. बबलू पुत्र सुल्तान, निवासी बालाखेडा, पुलिस थाना अंता, जिला बारां। **(अभियुक्त मफरूर है।)**
	3. सोमारिया उर्फ महेन्द्र पुत्र रामपाल, निवासी गोल्याहेडी, पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा। **(अभियुक्त मफरूर है।)**
	4. सुरेश पुत्र रामभरोस, निवासी गोल्याहेडी, पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा। **(अभियुक्त मफरूर है।)**
	5. अमरेश पुत्र सूरजमल, उम्र 29 वर्ष, निवासी बम्बूलियाकला, पुलिस थाना अंता, जिला बारां।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नागर

अपराध की दिनांक	08.09.2014
एफआईआर की दिनांक	09.09.2014

आरोप पत्र की दिनांक	05.12.2014	
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	सोमारिया उर्फ महेन्द्र	06.01.2015
	सुरेश	10.10.2023
	अमरेश	01.12.2023
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	20.01.2024	
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि	12.09.2024	
निर्णय सुनाने की दिनांक	12.09.2024	
दण्डादेश (यदि हो तो)	लागू नही	

<u>अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण</u>

अभियुक्त का नाम व श्रेणी	1	बनवारी
	2	बबलू
	3	अमरेश
	4	सोमारिया उर्फ महेन्द्र
	5	सुरेश
प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	बनवारी दिनांक 09.09.2014	
	अमरेश दिनांक 17.09.2014	
	बबलू दिनांक 18.09.2014	
	सोमारिया उर्फ महेन्द्र व सुरेश 30.11.2014	
प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	बनवारी 18.09.2014 अमरेश 24.09.2014 बबलू 14.10.2014 सुरेश 03.12.2014 सोमारिया उर्फ महेन्द्र 15.01.2015	
आरोपित अपराध	धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	
दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दोषमुक्त	

दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	लागू नही
धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि	अभियुक्त महेन्द्र उर्फ सोमारिया दिनॉक 30.11.2014 से दिनॉक 15.01.2015 तक
	अभियुक्त अमरेश दिनॉक 17.09.2014 से दिनॉक 24.09.2014 तक,
	अभियुक्त सुरेश दिनॉक 30.11.2014 से दिनॉक 03.12.2014 तक
	अभियुक्त बबलू दिनॉक 18.09.2014 से दिनॉक 14.10.2014 तक
	अभियुक्त बनवारी दिनॉक 09.09.2014 से दिनॉक 18.09.2014 तक

नि र्ण य

दिनांक : 12 सितंबर, 2024

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण बनवारी, बबलू, सुरेश, सोमारिया उर्फ महेन्द्र मफरूर हैं, जिससे उक्त प्रकरण में अभियुक्त अमरेश की हद तक निर्णय किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली, बारां ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी के अभियुक्तगण बनवारी, बबलू, सुरेश, सोमारिया उर्फ महेन्द्र, अमरेश के विरूद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत दण्डनीय अपराध की अंवीक्षा हेतु न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के समक्ष दिनांक 19.12.2014 को पेश किया, जो कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- संक्षेप में अभियोजन मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.09.2014 को परिवादी जोधराज ने एक तहरीरी रिपार्ट

(प्रदर्शपी-2/पीडब्ल्यु 10) पुलिस थाना कोतवाली, बारां में इस आशय की पेश की कि गई रात्रि को वह और उसका परिवार अपने घर पर सो रहे थे। उसका साला बृजमोहन उर्फ बृजेश मेला देखने गये थे, जहॉ से मेला देखकर रात्रि के 2 बजे करीब वापस आये तो अज्ञात लोग मकान के जंगले से सामान निकाल रहे थे। उसके साले ने शोर मचाया कि चोर-चोर, इस पर उसकी जाग हो गई। वह उठा और चोरो का पीछा किया, जिनमें से एक व्यक्ति पकडने में आ गया, जो बार-बार नाम बदलकर बता रहा था। पकडने के बाद वह अभी तीन व्यक्ति अन्य बता रहा था, जिनसे सामान वापस लाने की बात कर रहा था। उसने बक्से में सामान देखे तो दो जोडी फोलरिया, दो जोडी तोडिया 25,000 रूपये नगद व ट्रेक्टर का टेप नहीं मिला, जो इन लोगों ने चुराया है। चोरों को घर से निकलते समय उसके साले बृजमोहन उर्फ बृजेश ने देखा है। चोर को साथ पकडकर लेकर आये हैं, वगैरा। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली, बारां में मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिमान बनवारी, बबलू, सुरेश, सोमारिया उर्फ महेन्द्र व अमरेश के विरूद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता, 1860 में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण महेन्द्र उर्फ सोमारिया, सुरेश व अमरेश को धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाह परिक्षित

करवाये गये-

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.ड.1	इस्लाम	औपचारिक गवाह
पी.ड.2	बद्रीलाल	औपचारिक गवाह
पी.ड.3	नवलकिशोर	मैटेरियल गवाह
पी.ड.4	हरलाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड.5	अशोक कुमार	औपचारिक गवाह
पी.ड.6	जमनालाल	औपचारिक गवाह
पी.ड.7	चंदाबाई	मैटेरियल गवाह
पी.ड.8	हरिचरण मेहता	औपचारिक गवाह
पी.ड.9	सुरेश वर्मा	औपचारिक गवाह
पी.ड.10	जोधराज	परिवादी मेटेरियल गवाह

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये-

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	वर्णन
1	प्रदर्शपी-1/पीडब्ल्यु 10	फर्द नक्शा मौका
2	प्रदर्शपी-2/पीडब्ल्यु 10	तहरीरी रिपोर्ट
3	प्रदर्शपी-3/पीडब्ल्यु 10	चाक एफआईआर
4	प्रदर्शपी-4	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम सुरेश
5	प्रदर्शपी-5	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी सोमारिया उर्फ महेन्द्र
6	प्रदर्शपी-6	फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम सुरेश
7	प्रदर्शपी-7	फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम महेन्द्र उर्फ सोमारिया

8	प्रदर्शपी-8/पीडब्ल्यु10	फर्द बरामदगी एवं जब्ती ट्रेक्टर की टेपरिकार्ड व एक फोलारी चांदी बकब्बा मुलजिम सोमारिया उर्फ महेन्द्र
9	प्रदर्शपी-9/पीडब्ल्यु10	फर्द बरामदगी एवं जब्ती एक फोलारी चांदी बकब्बा मुलजिम सुरेश
10	प्रदर्शपी-10/पीडब्ल्यु 8	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम बबलू
11	प्रदर्शपी-11/पीडब्ल्यु 8	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम अमरेश
12	प्रदर्शपी-12	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम बनवारी
13	प्रदर्शपी-13	इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम बनवारी
14	प्रदर्शपी-14/पीडब्ल्यु 9	फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम बनवारी
15	प्रदर्शपी-15	इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम बबलू
16	प्रदर्शपी-16/पीडब्ल्यु 8	फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम बबलू
17	प्रदर्शपी-17	इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम अमरेश
18	प्रदर्शपी-18/पीडब्ल्यु 8	फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम अमरेश
19	प्रदर्शपी-19	इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम अमरेश
20	प्रदर्शपी-20/पीडब्ल्यु 8	फर्द बरामदगी एवं जब्ती एक तोडी चांदी बकब्बा मुलजिम अमरेश
21	प्रदर्शपी-21	इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा बबलू

22	प्रदर्शपी-22/पीडब्ल्यु 8	फर्द बरामदगी एवं जब्ती एक तोडी चांदी बकब्जा मुलजिम बबलू
23	प्रदर्शपी-23	इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम सोमारिया उर्फ महेन्द्र
24	प्रदर्शपी-24	इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम सुरेश
25	प्रदर्शपी-25	इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम सोमारिया उर्फ महेन्द्र
26	प्रदर्शपी-26	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम सुरेश
27	प्रदर्शपी-27/पीडब्ल्यु10	परिवादी जोधराज द्वारा पेश प्रार्थना पत्र
28	प्रदर्शपी-28	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त बनवारी
29	प्रदर्शपी-29	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त बबलू
30	प्रदर्शपी-30	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त अमरेश
31	प्रदर्शपी-31	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त सुरेश
32	प्रदर्शपी-32	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त सोमारिया उर्फ महेन्द्र
33	प्रदर्शपी-33	चिट मार्का, जिसकी प्रति प्रदर्शपी-33 ए
34	प्रदर्शपी-34	चिट मार्का, जिसकी प्रति प्रदर्शपी-34 ए
35	प्रदर्शपी-35	चिट माल जिसकी प्रति प्रदर्शपी-35 ए
36	प्रदर्शपी-36	चिट माल

सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं	सारवान वस्तु संख्या	वर्णन
1	आर्टिक्ल ए- 1	सफेद कपडे की थैली
2	आर्टिक्ल ए- 2	चांदी जैसे धातु की तोडी
3	आर्टिक्ल ए- 3	सफेद कपडे की थैली

4	आर्टिक्ल ए- 4	चांदी जैसे धातु की तोडी
5	आर्टिक्ल ए- 5	सफेद कपडे की थैली
6	आर्टिक्ल ए- 6	छोटी सफेद कपडे की थैली
7	आर्टिक्ल ए- 7	चांदी जैसी बिछुडी
8	आर्टिक्ल ए- 8	सफेद कपडे की थैली
9	आर्टिक्ल ए- 9	कपडे की थैली
10	आर्टिक्ल ए- 10	चांदी जैसे धातु की बिछुडी
11	आर्टिक्ल ए- 11	टेप रिकार्डर

चश्मदीद गवाह बृजप्रकाश उर्फ बृजेश उर्फ बृजमोहन को बार-बार तलब करने के भरसक प्रयास करने के बावजूद उक्त गवाह के उपस्थित नही होने से उसकी तलबी बंद की गई एवं औपचारिक गवाह कालूराम वर्मा को तर्क किया गया। दौराने विचारण अभियुक्तगण बनवारी, बबलू, सोमारिया उर्फ महेन्द्र, सुरेश को मफरूर घोषित किया गया। अभियुक्त अमरेश के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को झूंठा फंसाना बताते हुये साक्ष्य सफाई पेश करना नही चाहा, जिस पर अवसर समाप्त किया गया।

4- बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त अमरेश के विरूद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध

करने का निवेदन किया गया, जबकि इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त अमरेश को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, वह बिल्कुल निर्दोष है, परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट में अभियुक्त अमरेश का नाम उल्लेखित नही है, ना ही उसे मौके पर पकडा गया है, अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम से प्राप्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला में कहे गये विशिष्ट शब्दो बाबत कोई कथन नही रहे है, जिससे चुराये हुये सामान की बरामदगी का कोई महत्व नही रह जाता है, घटनास्थल बाबत नक्शा मौका पूर्व से ही पत्रावली पर मौजूद होकर अनुसंधान अधिकारी के द्वारा देखा जा चुका था, जिससे मुलजिम के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर की गई मौका तस्दीक का भी कोई महत्व नही रह जाता है, महत्वपूर्ण गवाह बृजप्रकाश उर्फ बृजेश उर्फ बृजमोहन की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही आ पाई है, जिससे अभियोजन का मामला कमजोर रहा है, जिससे अभियुक्त अमरेश को दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष **विचारणीय बिन्दु** यह है कि -

---

(1). क्या अभियुक्त अमरेश ने दिनॉक 08.09.2014 को समय 2.00 एएम के लगभग माल मौजा, बारां में परिवादी जोधराज के मकान में चोरी का अपराध करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर परिवादी की सहमति के बिना मकान में से बक्से में से दो जोडी फोलरियां, दो जोडी तोडियां, ट्रेक्टर का टेपरिकार्डर व 25,000 रूपये नकद बेईमानीपूर्वक आशय से चुराकर चोरी कारित की?

(2). यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा?

5- इस प्रकार पत्रावली पर आयी समस्त अभियोजन साक्ष्य को देखा जाये तो इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला साबित किये जाने हेतु कुल 10 अभियोजन गवाहो को परिक्षित करवाया गया है एवं विभिन्न दस्तावेजो को प्रदर्शित करवाया गया है। अभियोजन कहानी अनुसार परिवादी जोधराज के द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी-2/पी.ड.10 के द्वारा दिनांक 08.09.2014 को रात करीब 2 बजे घर पर सोते समय उसके साले बृजमोहन उर्फ बृजेश का मेला देखकर वापस आने पर अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा मकान के जंगले से सामान निकालते हुये देखने पर शोर मचाने से जागने पर उन व्यक्तियो में से एक व्यक्ति को पकड लेना एवं चैक करने पर बक्से में से चांदी की फोलरिया, तोडिया व 25 हजार रूपये नकद व ट्रेक्टर का टेप नही मिलना बताया गया है। इस प्रकार उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी-2/पी.ड.10 में मुलजिम अमरेश के द्वारा चोरी करने बाबत एवं मौके पर उसे पकडने बाबत कोई तथ्य उल्लेखित नही है एवं घटना की रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा चोरी करना उल्लेखित है। वही इस संबंध में परिवादी पी.ड.10 जोधराज की साक्ष्य को देखा जाये तो उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में साल 2014 में वह और उसकी पत्नी का कमरे के अंदर सोते समय रात के करीब 2 बजे बच्चा बच्ची व साले बृजराज की चोर-चोर चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके व उसकी पत्नी के द्वारा बाहर आकर देखने पर चोर के द्वारा खिडकी मे से सामान ले जाने हुये देखने पर भागने लगना, जिनका पीछा करने पर उनमें से एक व्यक्ति को पकड लेना व सामान चैक करने पर छोटे बक्से में रखी दो जोडी फोलरिया, दो जोडी तोडिया और 25,000 रूपये नकद व

ट्रेक्टर का टेप रिकार्डर गायब मिलना, जिसमें से 25,000 रूपये बाद में मिल जाना व इसकी रिपोर्ट प्रदर्शपी-2/पी.ड.10 थाना कोतवाली, बारां में पेश करना बताया है। वही जिरह में यह बताया कि उसने रिपोर्ट में किसी मुलजिम का नाम नही लिखाया था और आज भी उसे पता नही होना बताया कि किसने चोरी की थी। इस प्रकार परिवादी ने मुलजिम अमरेश के द्वारा चोरी करने बाबत कोई कथन नही किये है एवं किसने चोरी की, यह भी पता नही होना बताया है। वही परिवादी की पत्नी पी.ड.7 चन्दा बाई ने मुख्य परीक्षा में साल 2013 को वह और उसके पति जोधराज का मकान के अंदर सोते समय रात के करीब 2 बजे बाहर से उसके बच्चे-बच्ची व उसके भाई बृजराज उर्फ बृजेश के चोर-चोर चिल्लाने की आवाज आने पर उन दोनो पति पत्नी के द्वारा बाहर जाकर देखने पर दूसरे कमरे का दरवाजा खुला होना व अज्ञात चोर के द्वारा कमरे का जंगला तोडकर पीछे से सामान निकालना व उन्हे देखकर भागने लगना, जिनका पीछा करने पर एक व्यक्ति का पकड में आना व उसके साथ में अन्य तीन व्यक्तियो का होना व बक्सा चैक करने पर दो जोडी फोलरिया, दो जोडी तोडिया, 25,000 नकद व ट्रेक्टर का टेप रिकार्डर नही मिलना बताया। वही जिरह में यह स्वीकार किया कि चोरी करने वालों को पहले से नही जानते थे और आज भी नही पहचानते है एवं उसे किसी मुलजिम का नाम आज भी पता नही है। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी साक्ष्य में अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा उसके मकान से चोरी करना व जिनके नाम नही जानना बताया है। वही तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी-2/पी.ड.10 में उल्लेखित मौके के चश्मदीद गवाह बृजमोहन उर्फ बृजेश को तलब करने के भरसक

प्रयासो के बावजूद उक्त महत्वपूर्ण गवाह की उपस्थिति नही हो पाई है, जिससे उक्त गवाह की महत्वपूर्ण साक्ष्य मुलजिम की पहचान बाबत पत्रावली पर नही आ पाई है। वही अनुसंधान अधिकारी पी.ड.4 हरलाल ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्शपी-2 में तहरीरी रिपोर्ट में किसी भी मुलजिम का नाम अंकित नही है, लेकिन पुलिस कार्यवाही में मुलजिम बनवारी का नाम अंकित होना बताया है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने भी मुलजिम अमरेश का नाम तहरीरी रिपोर्ट में अंकित होने बाबत कोई कथन साक्ष्य में नही किये है। ऐसे में इस मामले में अभियोजन पक्ष का ऐसा कोई गवाह नही है, जिसने मुलजिम अमरेश को परिवादी के मकान से चोरी करते हुये देखा हो एवं मौके पर भागते हुये देखकर पहचाना हो, जिससे अभियोजन का मामला संदेहपूर्ण हो जाता है।

6- अब जहॉ तक प्रश्न चुराये हुये सामान का मुलजिम अमरेश के कब्जे से अथवा उसकी इत्तला के आधार पर बरामद होने का है, तो इस संबध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड.4 हरलाल ने मुख्य परीक्षा में दिनॉक 09.09.2014 को थाना कोतवाली बारां में एएसआई के पद पर कार्यरत होना व उक्त प्रकरण में तफतीश उसके जिम्मे होने पर मुलजिम अमरेश से प्राप्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्शपी-19 के आधार पर मुलजिम अमरेश के द्वारा आगे आगे चलकर स्वंय के रिहायशी मकान के कमरे के अंदर मटकी में छुपाकर रखी एक जोडी तोडिया चांदी की निकालकर पेश करने पर उसे जरिये फर्द जब्ती प्रदर्शपी-20 के जब्त करना बताया है। वही मौतबीर गवाह पी.ड.5 अशोक कुमार ने भी साक्ष्य में दिनॉक 18.09.2014 को पुलिस थाना कोतवाली, बारां में कान्स्टेबल

के पद पर कार्यरत होकर मुलजिम अमरेश की निशांदेही पर चांदी तोडी को जरिये फर्द प्रदर्शपी-20 के जब्त करना बताया है। वही अन्य मौतबीर गवाह पी.ड.8 हरिचरण मेहता ने मुख्य परीक्षा में दिनॉक 19.09.2014 को मुलजिम अमरेश की इत्तला के आधार पर मुलजिम द्वारा अपने रिहायशी मकान ग्राम बमूलिया कलां में आगे-आगे चलकर कमरे में रखी मटकी में से एक चांदी की तोडी निकालकर पेश करने पर जरिये फर्द प्रदर्शपी-20 के जब्त करना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनो ही गवाहो ने जरिये फर्द जब्ती प्रदर्शपी-20 के उक्त चांदी की तोडी को जब्त करना बताया है। वही उक्त जब्ती बाबत परिवादी पी.ड.10 जोधराज की साक्ष्य को देखा जाये तो उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में मुलजिम अमरेश द्वारा आगे-आगे चलकर अपने गॉव बमूलिया कलां में उसके मकान में छुपाकर रखी मटकी में से एक तोडी चांदी की पेश करने पर जिसे उसके द्वारा पहचानना व जिसे पुलिस द्वारा उसके सामने जरिये फर्द प्रदर्शपी-20/पी.ड.10 के जब्त करना अवश्य बताया है, किन्तु जिरह में उसके सामने कोई बरामदगी नही करना बताया है। इस प्रकार परिवादी ने जिरह में उसके सामने कोई बरामदगी किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है, जिससे उक्त गवाह के सामने मुलजिम अमरेश से चांदी की तोडी की बरामदगी की गई हो, यह तथ्य गंभीर रूप से संदेहपूर्ण हो जाता है।

7- वही जहॉ तक मुलजिम द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा इत्तला के विशिष्ट शब्द अपनी साक्ष्य में नही बताये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड.4 हरलाल की साक्ष्य को देखा जाये तो उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य

में मुलजिम अमेरश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्शपी-19 दिया जाना बताया है, किन्तु उक्त मुलजिम अमरेश के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्शपी-19 में उसे क्या इत्तला दी, इस बाबत कोई विशिष्ट कथन अपनी साक्ष्य में अनुसंधान अधिकारी ने नही किये गये है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय **"Daau Ram Vs. State of Rajasthan" (2019(3)RLW 1843(Raj.))** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला ग्राहय होने के लिये पुलिस अधिकारी के द्वारा उक्त इत्तला में मुलजिम द्वारा कहे गये विशिष्ट शब्द अपनी साक्ष्य में बताये जाना आवश्यक है एवं उक्त इत्तला पर मात्र प्रदर्श अंकित किये जाने से विधि की दृष्टि से साबित होना नही माना जा सकता है। ऐसे में उक्त इत्तला प्रदर्शपी-19 के विशिष्ट शब्दो बाबत अपनी साक्ष्य में कोई कथन अनुसंधान अधिकारी द्वारा नही किये जाने से अभियुक्त अमरेश की ऐसी इत्तला के आधार पर की गई चांदी की तोडी की बरामदगी प्रदर्शपी-20 का कोई महत्व नही रह जाता है।

8- जहॉ तक मुलजिम अमरेश से प्राप्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर की गई घटनास्थल की तस्दीक का प्रश्न है तो अनुसंधान अधिकारी पी.ड.4 हरलाल की साक्ष्य को देखा जाये तो उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में मुलजिम अमरेश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्शपी-17 के आधार पर तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी-18 बनाना बताया है। उक्त मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी-

18 को देखा जाये तो उक्त दिनॉक 18.09.2014 को बनाया जाना प्रकट होता है, किन्तु उक्त मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी-18 मुलजिम की इत्तला पर बनाये जाने से पूर्व ही फर्द नक्शा मौका प्रदर्शपी-1 दिनॉक 09.09.2014 को ही अनुसंधान अधिकारी हरलाल के द्वारा ही बनाया जाकर अनुसंधान पत्रावली में उपलब्ध होकर उसका भाग बन चुका था। वही अनुसंधान अधिकारी पी.ड.4 हरलाल ने जिरह में भी यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल तस्दीक से पूर्व वह घटनास्थल पर जा चुका था, जिससे मुलजिम अमरेश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्शपी-17 के आधार पर करायी गई मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी-18 का कोई महत्व नही रह जाता है।

9- **निष्कर्षतः** इस प्रकार प्रस्तुत मामलें में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अपना मामला उक्त अभियुक्त अमरेश के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। परिणामतः उक्त अभियुक्त अमरेश को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आ दे श

10- फलतः अभियुक्त अमरेश पुत्र सूरजमल, उम्र 29 वर्ष, निवासी बम्बूलिया कलां, पुलिस थाना अंता, जिला बारां को आरोपित अपराध अन्तर्गत 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। उक्त अभियुक्त के नियमित हाजिरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये

जाते है।

प्रकरण में अन्य मुलजिमान बनवारी, बबलू, सोमारिया उर्फ महेन्द्र, सुरेश मफरूर है, अतः पत्रावली के सरबरक पर लालस्याही से नोट अंकित किया जाये कि उक्त प्रकरण में मुलजिमान मफरूर है, अतः पत्रावली का कोई भाग नष्ट नही किया जाये। उक्त निर्णय की सत्यप्रति निःशुल्क सहायक अभियोजन अधिकारी को दी जावे।

(अरूण प्रकाश आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण प्रकाश आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां

सत्यमेव जयते